18/12/25	वकील फरीकेन उप०। दावा वादी डिस्मिस किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शामिल पत्रावली किया [illegible] पत्रावली के दफल तुकार होकर नेबर [illegible] दाखिल दफ्तार हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी करौली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:00:54 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

मंदिर श्री गोविन्द देवजी विराजमान करौली जरिये प्रबन्धकगण नक्सा व फ्रेन्ड

1. रामजीलाल पुत्र रतनलाल
2. कैलाशचंद पुत्र भगवतीलाल

जाति ब्राह्मण निवासी करौली

–वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र चिरंजीलाल ब्राह्मण निवासी हिण्डौन दरवाजा करौली (मृत)
   1/1. ओमप्रकाश
   1/2. अशोक कुमार
   1/3. राजेन्द्र कुमार
   1/4. मीना कुमारी पुत्री रामजीलाल

   पिसरान रामजीलाल

   सभी जाति ब्राहमण निवासी हिण्डौन दरवाजे के पास करौली
2. तहसीलदार तहसील, करौली

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा व दखलयावी व इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं. 374/05

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम प्रकाश** गर्ग, एडवो. मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री ऐश्वर्य सिंह, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी मूर्ति मंदिर गोविन्द देवजी को आराजी खसरा 5325, 5326, 5327 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का–9 तहसील करौली का खा काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 का नाम खातेदारी से हजफ किय जाता है। वादी मंदि पर प्रतिवादी नंबर 1 से दखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी नंबर 2 इसी अनुसार रिकॉर्ड में वादी मंदिर के हक में खातेदारी इन्द्राज अमल करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुब मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18/12/25 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी	
महन्ताना वकील			खर्चा, गवाहान	
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक	
मुतफरिक				
मीजान			मीजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.01 13:00:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–374/04 तारीख रजु:–01.03.04

उनवान

मंदिर श्री गोविन्द देवजी विराजमान करौली जरिये प्रबन्धकगण नक्सा 5 फ्रन्ड

1. रामजीलाल पुत्र रतनलाल } जाति महाजन
2. कैलाशचंद पुत्र भगवतीलाल } निवासी करौली

–वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र चिंरजीलाल ब्राहमण निवासी हिण्डौन दरवाजा करौली (फौत)

1/1. ओमप्रकाश }
1/2. अशोक कुमार } पिसरान रामजीलाल
1/3. राजेन्द्र कुमार }

1/4. मीना कुमारी पुत्री रामजीलाल

सभी जाति ब्राहमण निवासी हिण्डौन दरवाजे के पास करौली

2. तहसीलदार तहसील, करौली

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा व दखलयावी व इन्द्राज दुरूस्ती

–::निर्णय::–

दिनांक :– 18/12/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.01 13:00:54
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि परपीचुअल माईनर है एवं नियमानुसार रजिस्टर्ड है। और वादी की ओर से प्रार्थीगण को प्रबन्धक एवं दर्शनार्थी होने के नाते दावा करने का पूर्ण अधिकार है और वादी के सभी हितो की रक्षा करने का पूर्ण कर्तव्य है। वाके कस्बा करौली वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नंबर 5325 रकवा 10 विस्वा एवं खसरा नम्बर 4199 रकवा 2 बीघा 11 विश्वा लगानी 1/14 पैसे गुलाब बाग के पास स्थित है जो वादी ठाकुरजी को रिसायत के जमाने में जरिये पट्टा। इस्तामरार दी

उपखण्ड अधिकारी करौली

गई है जिस पर देवीचन्द पुत्र नानगा माली मंदिर की ओर से साल दर साल भेज पर काश्त करता था जिससे मंदिर के राग भोग व सेवा पूजा का कार्य होता है, किन्तु उक्त देवीचन्द से प्रतिवादी नं0 1 ने साज करके वादी से छिपा कर अपना नाम दर्ज करा लिया और मौजूदा प्रति में वादी नं0 1 काबिज है इसका इल्म दिनांक 3.6.91 को प्रतिवादी नं0 1 द्वारा उक्त विवादित जमीन में नींव खोदने पर हुआ इस सम्बन्ध में कागजात पटवार की जानकारी की ओर नक्लात कागजात लेने पर मालूम हुआ कि प्रतिवादी नं0 1 बतौर ट्रेसपासर है निर्माण अवैध रूप से करने की दिनांक 6.6.91 को मना करने पर नही माना और ऐलानिया धमकी दी है कि अभी तो सभी पेडो को नष्ट करेगें और बाकी जमीन को प्लाट काट कर बेचेगें इस जमीन के अलावा दीगर जमीन वादी को भी बेचेगें व निर्माण करेगें। इससे वादी के हको पर भारी आघात है व अपूर्णनीय क्षति हे वादी के हकूको से इन्कार करने के कारण वादी अपने हकूको की घोषणा कराने का अधिकारी है व कागजात पटवार में प्रतिवादी नं0 2 के सहयोग से इन्द्राज कराने का अधिकारी है। विनाय दावा दिनांक 3.6.91 एवं 6.6.91 को प्रतिवादी द्वारा अवैध निर्माण करने की धमकी देने पर पेडों को नष्ट करने व बेचान की ऐलानिया कहने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुआ दावा अन्दर मियाद है व काबिल समाअत अदालत हाजा है। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 5325, 5326, 5327 जिसका साबिक खसरा नम्बर 4199 रकवा 2 वीघा 11 विस्वा वादी की खातेदारी की घोषित की जावे एवं कागजात पटवार में वादी के नाम इन्द्राजात फरमाये जावे व प्रति नं0 1 का नाम हटाया जावें। अंत में दावा वादी डिक्री कराने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जबावदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित आराजीयात ठाकुरजी की रिसायत के जमाने में जरिये पट्टा दिया गया था और सं0 2006 से 2009 तक ग्यारसा के कब्जे काश्त में थी उसके पश्चात सं0 2010 से 2013 तक हमारी पुत्र नानगा के कब्जे काश्त में थी उसके पश्चात देवीचन्द के कब्जे में थी और वक्त सेटिलमेण्ट खाता

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.05.01 13:00:54
Reason: SelfAttested

उसी के नाम कायम किया गया था। देवीचन्द से रजिस्टर्ड वयनामा प्रतिवादी ने खरीद की थी जिसका नामान्तकरण प्रतिवादी के नाम कायम हुआ तब से प्रतिवादी ही काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी वहैसियत ट्रेस पासर काबिज नही बल्कि वहैसियत खातेदार विवादित आराजीयत पर काबिज चले आ रहे हैं। वादी कोई विनाय मुखासमत दिं0 3.6.91 को पैदा नही हुई दावा हर हालत में वैरून म्याद है। विवादित आराजीयात को प्रतिवादी ने देवीचन्द खातेदार से विजरिये रजिस्टर्ड वयनामा सन् 1972 में खरीद किया है तब से प्रतिवादी काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी को वादी ने कभी भी खुद काश्त नही की न ही सेटिलमेण्ट हाल में आराजीयात वादी की खुद काश्त में दर्ज हुई बल्कि कब्जे काश्त के आधार पर देवीचन्द के नाम दर्ज हुई। विवादित आराजीयात मंदिर गोविन्द देवजी की माफी की नही थी बल्कि इस्तमुरार महाजनान के नाम थी प्रतिवादी एवं उससे पूर्व देवीचन्द विवादित आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त सेटिलमेण्ट माफी मन्दिर के नाम गलत इन्द्राज करा लिया था जो काबिले दुरूस्ती है। वह हम पर प्रभावी नही है। माफी जब्त होते वक्त विवादित आराजीयात वादी के कब्जे काश्त में नही थी बल्कि सन् 1955 के पूर्व एवं पश्चात जागीर एक्ट होने के समय प्रतिवादी का कब्जा था वादी के कब्जे काश्त में विवादित आराजीयात नही रही ऐसी सूरत में वादी अपने हक में खातेदारी कराने का अधिकारी नही हैं। उक्त आराजीयात को लगान पर प्रतिवादी से काश्त कराता रहा तो दावा अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0एक्ट चलने योग्य नही है। 720 वीघा रकवा को खुद काश्त बतलाता हे जो कि अधिकतम क्षेत्र ज्यादा है ऐसी सूरत में वादी को खुद काश्त हकूक पेदा नहीं होते हैं। माफी जब्त होने के वकत कुल हकूक राज्य सरकार में निहित हो जाते हैं वादी को उक्त आराजीयात में कोई हकूक पैदा नही होते हैं। दावा हस्व दफा 183 आर0टी0एक्ट चलने योग्य नही हैं और दावा म्याद बाहर है क्योंकि प्रतिवादी सं0 2015 से वहैसियत काश्त करते चले आ रहे हैं। वादपत्र में विवादित आराजीयात को इस्तकरार पर देना बताया गया है लेकिन इस्तमुरार का कोई पटटा व इस्तमुरार दिये जाने बावत कोई साल सम्वत दावे में अंकित नही की गई है बल्कि सत्यता यह है कि मंदिर गोविन्द देव जी को कोई भूमि इस्तमुरार पर नही दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2026.05.01 1
Reason: SelfAtteste

इस्तमुरार पर पंचमहाजनान को कुछ भूमि दी गई जिसका उल्लेख राजस्व रिकार्ड में मौजूद है। मंदिर गोविन्द देव जी के प्रबन्धकगण ने साज करके रैवेन्यू रिकार्ड में उक्त भूमि का इन्द्राज मंदिर के नाम करा लिया। पंचमहाजनान परपीचयूल माइनर की श्रेणी में नही आते हैं। इस कारण दावा वादी निरस्त होने योग्य हैं। वादी ने विवादित आराजीयात को सेटिलमेण्ट हाल में माफी में गलत इन्द्राज करा लिया है जबकि असलियत में माफी महाजनान थे। भोक्ता के खाना नं0 3 में महाजनान का दर्ज होना आवश्यक था। मंदिर गोविंद देव जी गलत दर्ज कर दी गई है जिसके बारे में प्रतिवादी काउन्टर क्लेम पेश करता है और निवेदन करता है कि जो माफी मन्दिर अंकित की गई उसे निरस्त फरमाया जावे और माफी महाजनान करौली अंकित करते हुए भोक्ता के खाने में राज्य सरकार अंकित फरमाया जावें। काउन्टर क्लेम हेतु प्रतिवादी द्वारा कोर्ट फीस 2रूप्या चस्पा है जिसकी विनाय मुखासमत प्रतिवादी को वादी द्वारा दावा करने पर पैदा हुई। विवादित आराजीयात माफी महाजनान की है उनकी ओर से प्रतिवादी और उनसे पूर्व देवी चन्द आदि काश्त करते थे। माफी जब्त होने के प्श्चात प्रतिवादी को हकूक प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी सूरत में दावा वादी खारिज होने योग्य है। अंत दावा वादी खारिज किया जाने व काउन्टर क्लेम में डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये:–

1. आया विवादित आराजीयात ख0नं0 5325, 5326, 5327 कस्बा करौली वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है।

——वादी

2. आया वादी आराजीयात मुतनामा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी हो।

——वादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण को आराजीयात से बेदखल कर कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

——वादी

उपखण्ड अधिकारी
करौली

4. आया आराजीयात मंदिर गोविन्द देवजी की माफी की नही थी बल्कि माफी महाजनान के नाम थी।

Signature Not Ver
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.01 13:
Reason: SelfAttested

—प्रति0

5. आया दावा म्याद बाहर हो।

—प्रतिवादी

6. आया भौक्त के खाते मे मंदिर गोविन्द देवजी के स्थान पर माफी महाजनान व आराजीयात होने के कारण माफी महाजनान के स्थान पर राज्य सरकार अंकित कराने के प्रतिवादीगण अधिकारी है।

—प्रतिवादीगण

7. आया दावा 183 आर0टी0एक्ट में चलने योग्य नही है।

—प्रति0

7.(अ) आया वादीगण मंदिर के प्रबंधक है और उनको दावा दायरी का हक हासिल है।

—वादी

8. दादरसी

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी रामजीलाल गुप्ता पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी हाल प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सेटलमेंट प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–4 पेश की है। साक्ष्य वादी समाप्त की गई।

साक्ष्य प्रतिवादीगण ने डीब्ल्यू–1 रामजीलाल व डीब्ल्यू–2 ओमप्रकाश सारस्वत के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में लिस्ट ऑफ प्रापर्टी मंदिर गोविन्द देवजी प्रदर्श ए–1, खसरा गिरदावरी संवत 2010–13 प्रदर्श ए–2, खसरा गिरदावरी संवत 2006–2009 प्रदर्श ए–3, नकल सेटलमेंट खतौनी प्रदर्श ए–4, जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श ए–5, मंदिर गोविन्द देवजी की संवत 2015 की समस्त आराजीयात की जमाबंदी प्रदर्श ए–6 किता 3 तथा मंदिर की संवत 2010–13 [illegible] प्रदर्श ए–7 पेश की है। साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.01 13:00
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

वकील वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी मन्दिर गोविन्ददेवजी परपीच्यूअल माइनर है और वादी के हित में

जरिए प्रबन्धक व दर्शनार्थी यह दावा पेश किया गया है कि आराजी खसरा नं0 5325, 5326, 5327 किता 3 रकवा 2 बीघा 11 बिस्वा कस्बा करौली वादी की खातेदारी की है। गलत तरीके से देवीचन्द पुत्र नानगा माली ने वादी से छिपाकर सेटिलमेंन्ट में अपने नाम करा ली। प्रतिवादी नं0 1 जमीन पर ट्रेसपासर की हैसियत से काबिज है और वादी के हकूकों से इन्कार दिनांक 06/06/1991 को कर दिया और इसलिए वादी खातेदारी की घोषणा कराने व प्रतिवादी नं0 1 से दखल प्राप्त करने का अधिकारी है। दावा पेश होने पर प्रतिवादी अपने जवाब में वादी के खातेदारी हकूको से इनकार करते हुए देवीचन्द से रजिस्टर्ड वयनामा से खरीद करना व विवादित आराजीयात माफी महाजनान दर्ज किये जाने बावत काउन्टर क्लेम भी पेश किया है तथा वादी ने दावा को खारिज करने की दादरसी चाही है। यह जवाब दावा दिनांक 25/02/1994 में पेश किया गया है। उसके बाद दिनांक 21/10/1999 को पुनः प्रतिवादी नं0 1 द्वारा बिना किसी आदेश के जवाब दावा मय काउन्टर पेश किया है। जिसमें प्रतिवादी नें विवादित आराजीयात 2006–2009 तक ग्यारसा के कब्जेकाश्त की होना, सम्वत् 2010–2013 में हजारी पुत्र नानगा के व उसके बाद देवीचन्द के कब्जेकाश्त में होना दर्ज किया है। सेटिलमेंन्ट के वक्त खाता देवीचन्द के नाम कायत किया गया। सन् 1955 में प्रतिवादी का कब्जा था, आदि अभिवचन कर काउन्टर क्लेम डिक्री करने व दावा वादी खारिज करने की इस्तदुआ की है। वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में वादी रामजीलाल के ब्यान कराये गये तथा प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी रामजीलाल व ओमप्रकाश के ब्यान हुए। वादी की ओर से दस्तावेज प्रदर्ष–1 जमाबन्दी हाल, जमाबन्दी सेटिलमेन्ट प्रदर्ष–2, जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 व जमाबन्दी सम्वत 2010–2013 प्रदर्श–4 पेश की गई है। प्रतिवादी की लिखित साक्ष्य में मन्दिर की सम्पत्ति की लिस्ट प्रदर्श– A1, गिरदावरी सम्वत् 2010–2013 प्रदर्श A2, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2006–2009 प्रदर्श A3, पर्चा खतौनी सेटिलमेन्ट प्रदर्श–A4, जमाबन्दी सम्वत् 2015 प्रदर्श–A5, मन्दिर गोविन्ददेवजी की सम्वत् 2015 की जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–A6, मन्दिर गोविन्ददेवजी की सम्वत् 2019–2022 की जमाबन्दी प्रदर्श A7 पेश की है। विवादित आराजीयात खसरा नं0 5325, 5326, 5327 कस्बा करौली वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.01 13:
Reason: SelfAttested
खण्ड अधिकारी करौली

उपरोक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर हैं वादी की ओर से सबूत दस्तावेजी में प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत् 2010–2013 पेश की गई है, जिसमें विवादित जमीनें वादी के खतोदारी में दर्ज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के दिन वादी विवादित जमीनों का खातेदार काश्तकार था, साबित किया गया है। सेटिलमेन्ट विभाग को खातेदारी के इन्द्राज को बदलनले का कोई अधिकार नहीं था। सेटिलमेन्ट विभाग सिर्फ अदालत के आदेश या खातेदार की मृत्यु के बाद उसके वारिसों के नाम की प्रविष्ठियॉ कर सकता हैं। प्रदर्श–2 जमाबन्दी में सेटिलमेन्ट विभाग ने गैरकानूनी तरीके से मन्दिर की बजाय दीगर व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया है। इस इन्द्राज से दीगर व्यक्ति को कोई खातेदार अधिकार प्राप्त नही होते हैं। सेटिलमेन्ट विभाग खातेदारी अधिकार नही दे सकता। वादी शाश्वत नाबालिग है और वादी की खातेदारी की जमीन को कोई भी व्यक्ति काश्त करे, वादी की खुदकाश्त की मानी जाती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(23) में खुदकाश्त की परिभाषा दी गई है, जिसका अपवाद धारा 5(25) में दिय गया है कि यदि नाबालिग की जमीन को कोई भी व्यक्ति काश्त करे, नाबालिग की खुदकाश्त की मानी जावेगी। इस प्रकार विवादित वादी की खुदकाश्त खातेदारी की साबित है। जिसे PW1 रामजीलाल ने अपने ब्यान से साबित किया है। प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज जमाबन्दी पेश नही कि गई है, जिससे सम्वत् 2010–2013 में मन्दिर के अलावा अन्य किसी की खातेदारी दर्ज हो। प्रतिवादी की ओर से गिरदावरी प्रदर्श A2 व A3 से भी प्रतिवादी को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। गिरदावरी रिकॉर्ड्स ऑफ राईट्स नही है। गिरदावरी से खातेदारी साबित नही की जा सकती है। इस सम्बन्ध मे नजीर 2019 R.B.J. Page 441 (a) पेश की जा रही हैं। [illegible] ने अपनी जिरह के पेज नं0 1 के अन्त में "दावा होने के [illegible] 2015 में विवादित जमीन किसके खाते में थी, मैं जानकारी [illegible] किया हैं आगे का ब्यान दिया है कि "प्रदर्श A1 क्या चीज है, मैं नही बता सकता। प्रदर्श A1 की नकल कोटा से लाये, केस में जरूरत पडने पर लाये। मैंने सम्वत् 2010–2013 की पंच महाजनान की विवादित जमीन की जमाबन्दी पेश नहीं की है। यह सही है कि मैनें सम्वत् 2006–2009 की जमाबन्दी पेश नही की है। यह सही है कि जमाबन्दी में जिस व्यक्ति के

Signature Not Ve
Digitally signed by P
Date: 2026.05.01 13
Reason: SelfAttested

खण्ड अधि
कयौली

नाम खातेदारी दर्ज होती है, उसी का नाम दर्ज होता है। यह सही है कि गिरदावरी में जमीन को कौन काश्त करता है, उसका नाम दर्ज होता है। यह सही है कि प्रदर्श A3 गिरदावरी सम्वत 2006–2009 में विवादित जमीन को कौन काश्त करता था, दर्ज नही है। प्रदर्श A2 गिरदावरी में हजारी पुत्र नथुआ दर्ज है, जो लाल स्याही से दर्ज है। हजारी पुत्र नथुआ किस आधार पर दर्ज हुआ, मैं नहीं कह सकता। मैनें हजारी पुत्र नथुआ से जमीन नहीं खरीदी, बयनामा की नकल मैंने पेश नही की।'' आदि ब्यान से प्रतिवादी ना तो यह साबित कर पाया है कि जमीन वादी मन्दिर के नाम न होकर सम्वत् 2010–2013 में पंच महाजनान के नाम दर्ज हो, ना ही प्रतिवादी ने जिस व्यक्ति से जमीन खरीदना दर्ज किया है, उसके नाम सम्वत 2010–2013 में खातेदारी हो, ना हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है, ना ही मौखिक साक्ष्य से साबित कर पाया है। ऐसी सूरत में वादी का खातेदार काश्तकार होना साबित है। इस प्रकार तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में साबितह है। वादीगण मन्दिर के प्रबन्धक हैं और उनको दावा दायरी का हक हासिल है। मजीद तनकी बनाई गई है। जिसे PW1 रामजीलाल ने अपने ब्यान से सशपथ साबित कराया है। इसके अलावा प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह दर्ज नहीं किया है कि वादी के प्रबन्धक कौन–कौन हैं और PW1 वादी का प्रबन्धक नहीं है तथा अपने सशपथ जिरह में कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं हे कि मन्दिर गोविन्ददेवजी की सेवा–पूजा की व जमीन–जायदाद की व्यवस्था अग्रवाल समाज द्वारा चुने हुए प्रबन्धकगणों द्वारा की जाती है या नहीं। मुझे यह भी पता नहीं कि मन्दिर गोविन्ददेवजी के कौन–कौन प्रबन्धक हैं, कौन सेवा–पूजा करता है। इस प्रकार दावा करने के दिन रामजीलाल महाजन वगै0 वादी के प्रबन्धक थे, यह साबित है। इसके अलावा वादी मन्दिर शाश्वत नाबालिग है और उसकी आरे से कोई भी दर्शनार्थी तक दावा कर सकता है। [illegible] माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीर A.I.R. 1957 S.C. Page 1044 पेश की जा रही हैं। इस प्रकार इस तनकी को वादी ने पूर्ण रूप से साबित किया है। आराजीयात मन्दिर गोविन्ददेवजी की माफी की नहीं थी, बल्कि माफी महाजनान के नाम थी। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा ना तो ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है जिससे यह साबित होता हो तो कि विवादित जमीन सम्वत् 2010–2013

उपखण्ड अधि... कार्या...

Signature Not V
Digitally signed by F
Date: 2026.05.01 1
Reason: SelfAtteste

में पंच महाजनान की खातेदारी में दर्ज थी, ना ही इसे अपनी मौखिक साक्ष्य से साबित कराया है। इस प्रकार प्रतिवादी इस तनकी को साबित नही कर पाया है। विवादित जमीनें वादी शाश्वत नाबालिग की खातेदारी व कब्जेकाश्त की हैं। नाबालिक की खातेदारी की जमीनों को कोई भी व्यक्ति काश्त करें, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(23) व 5(25) के तहत नाबालिग की ही खुदकाश्त की ही मानी जावेगी। इस प्रकार इस दावे में सन् 1991 में कब्जा वापिस देने की प्रबन्धकों द्वारा कहने पर और प्रतिवादी के द्वारा मना करने से दावा अन्दर म्याद पेश है। इस सम्बन्ध में नजीर R.R.D. 1996 Page 395 पेश की जा रही हैं। भोक्ता के खाते में मन्दिर गोविन्ददेवजी के स्थान पर माफी महाजनान व माफी जप्त होने के कारण माफी महाजनान के स्थान पर राज्य सरकार अंकित कराने के प्रतिवादीगण अधिकारी हैं। प्रतिवादी अपने दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य से यह साबित नहीं कर पाया है कि विवादित जमीन सम्वत् 2012 में माफी महाजनान की जमाबन्दी में दर्ज्र हो। इसके अलावा माफी किस आधार पर किस आदेश से कब जब्त हुई और जब्ती के बाद राज्य सरकार के नाम किस आधार पर हुई, ना तो अभिवचन से साबित है, ना ही मौखिक साक्ष्य अथवा दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। इसलिए इस तनकी को प्रतिवादीगण साबित नहीं कर पाये हैं और इसी आधार पर काउन्टर क्लेम प्रतिवादी खारिज होने योग्य है। दावा धारा 183 R.T. Act में चलने योग्य नहीं हैं। प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचन में यह दर्ज नहीं किया है कि दावा धारा 183 R.T. Act में चलने योग्य क्यों नहीं है। वादी शाश्वत नाबालिग है और प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी की जमीन पर बतौर ट्रेसपासर काबिज है। वादी प्रतिवादीगण से दखल प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी को प्रतिवादी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया है। इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ मानी जावेगी। इसके अलावा इन्हीं आधारों पर मन्दिर गोविन्ददेवजी बनाम [illegible] का दावा न्यायालय हाजा से डिक्री किया गया था, जो माननीय उच्च न्यायालय तक अपहेल्ड रहा। मन्दिर गोविन्ददेवजी बनाम हजारी व मन्दिर गोविन्ददेवजी बनाम बृजमोहन तथा कई अन्य मुकदमें भी अदालत हाजा से वादी के पक्ष में निर्णित हुए हैं, जो माननीय उच्च न्यायाल तक अपहेल्ड रहे हैं। इसके अलावा अन्य मुकदमें भी श्रीमानजी की अदालत से वादी के पक्ष में डिक्री

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.01 13:0
Reason: SelfAttested

हुए हैं, जिनके निर्णय रेवेन्यू बोर्ड व माननीय उच्च न्यायालय से अपहेल्ड हूए हैं। जिनमें से कुछ इजराय अदालत हाजा में लम्बित हैं तथा कुछ इजरायों के द्वारा मन्दिर की खातेदारी होकर मन्दिर को कब्जा प्राप्त हो चुका हैं। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज जावे। लिखित बहस के समर्थन में निम्न नजीरें प्रस्तुत की है। R.R.D. 1994 Page 1 Raj. H.C. (D.B.), R.R.D. 2007 Page 56, R.R.D. 1996 Page 395, R.L.D. 1993(1) Page 307 Raj. H.c. (D.B.), R.L.D. 1991(2) Page 564 Raj. H.c. (D.B.), R.R.D. 1995 Page 418 R.B. Larger Bench, R.L.D. 1997(2) Page 755 Raj. H.c. (D.B.), R.R.D. 2002 Page 167 Raj. H.c., R.R.D. 2009 Page 514

वकील प्रतिवादी का लिखित बहस कर कथन है कि वादी की ओर से यह वर्णित किया गया है कि वादी के कहने पर काश्त करने वाला व्यक्ति कब्जा देने से मना करता है उस दिन से धारा 183 आर0टी0एक्ट की मियाद मानी जावेगी जबकि संपूर्ण वादपत्र वादी एवं वादपत्र के मद नं0 5 में वर्णित विनाय दावा में वादी खाली करके कब्जा वापिस मांगा गया हो ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं हैं। केवल मात्र अवैध निर्माण व पेडों को नष्ट करने की धमकी देना ही वर्णित है ऐसी स्थिति में जब वादी मंदिर के प्रबंधकगण की हैसियत से कब्जा वापिसि की मांग ही संपूर्ण वादपत्र के जरिये नहीं की गई है तो धारा 183 आर0टी0एक्ट के तहत उक्त दावा चलने योग्य ही नहीं रह जाता है। विधिक स्थिति के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963 के आर्टीकल 65 के तहत दखल की मियाद 12 वर्ष निर्धारित है। जबकि उक्त प्रकरण 20 वर्ष पश्चात देरी से क्यों दर्ज कराया गया इसका कोई उल्लेख वादपत्र में नहीं है जबकि वादीगण को प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित आराजियात का उपयोग–उपभोग करते हुए प्रारम्भ से देखा जा रहा था जिसका पुष्टि स्वयं PW-1 रामजीलाल पुत्र रतनलाल ने भी की है कि पूर्व में देवीचन्द द्वारा काश्त की जा रही थी और देवीचन्द द्वारा कभी भी कोई लगान मंदिर को नहीं दिया, इस प्रकार विवाधक सं0 5 जो पूर्णरूप से कानूनी है और जिसे तय करने के लिये किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। प्रथमदृष्तया ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.01 13:0
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली

वादपत्र वादी को मियाद बाहर प्रस्तुत होना साबित करता है जिसके आधार पर दावा वादी खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है जबकि प्रदर्श– ए 1 के अनुसार मंदिर रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड ट्रस्टीगण की आरे से ही दावा पेश होना चाहिए था। यह सही है कि कोई दर्शनार्थी ने प्रस्तुत नहीं किया है प्रबंधकगण की हैसियत से प्रस्तुत है परिस्थिति में बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के वादीगण को रजिस्टर्ड ट्रस्टी नहीं माना जा सकता। स्वयं पीडब्ल्यू–1 रामजीलाल ने अपने बयानों में कहा है कि ''मंदिर प्रबंधक कृष्णकांत जी, पुरूषोत्तम बजाज है, ट्रस्टी मंदिर गोविन्द देव जी है हमारे यहां अध्यक्ष कोई नहीं होता ''इस प्रकार वादीगण यह साबित करने में पूर्ण रूप से विफल हुए हैं कि वे मंदिर प्रबंधक हो उनको दावा दायरी का हक हासिल हो। इस तथ्य की पुष्टि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत निर्णय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश करौली उनवानी दाऊदयाल बनाम ठाकुर मंदिर गोविन्ददेवजी डी0अ0स0 58/2012 (7/12) निर्णय दिनांक 19.1.2013 से भी होती है जिसके पृष्ठ सं0 14 पर अपनी अंतिम राय दी कि वादीगण निर्वाचित ट्रस्टी होना साबित नहीं होने से समस्त निर्वाचित ट्रस्टीयों की ओर से दावा नहीं होने से वादी का वादा संधाणीय नहीं है। किन्तु उक्त तनकी बावत् जो लिखित बहस वादी की ओर से प्रस्तुत की गई वह मात्र प्रतिवादी की साक्ष्य पर आधारित है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि वादी को अपना वाद स्वयं के बल पर साबित करना होता है वह प्रतिवादी के प्रतिरक्षा के अधिकार का सहारा अथवा बचाव नहीं ले सकता। इस प्रकार उक्त वाद रजिस्टर्ड ट्रस्टीयों की ओर से प्रस्तुत नहीं होने के कारण भी खारिज होने योग्य हैं। मद नं0 1 में विस्तृत रूप से किया गया है जिसे स्वीकार किया जाकर वादपत्र वादी कब्जे के अभाव में खारिज फरमाया जावें। वादी दस्तावेजी व मौखिक सा[illegible] साबित नहीं कर पाये हें क्योंकि सर्वप्रथम इस [illegible] प्रतिवादी की ओर से दो बार जवाब प्रस्तुत हुये तो 31 वर्ष तक प्रकरण के चलने के पश्चात् आज दौराने बहस उक्त मुद्दे को वादी की ओर से उठाया गया, पूर्व में कोई आपत्ति क्यों नहीं की गई, इसका कोई उल्लेख [illegible] है, इसके अतिरिक्त प्रतिवादी की ओर से जब काउण्टर क्लेम जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया था तो उसका भी कोई लिखित जवाब वादी मंदिर प्रबंधकगण की ओर से कभी नही नही दिया गया, ना ही कभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.01 13:00:54
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली

इसका ऐतराज उठाया कि वादी का प्रकरण में काउन्टर क्लेम का जवाब पेश करने का अवसर ही नहीं दिया गया एवं परिस्थिति के मुताबिक दीवानी प्रकिया संहिता आदेश 8 नियम 6 के अनुसार काउन्टर क्लेम में प्रतिवादी की ओर से उठाये गये अभिवचन वादी द्वारा स्वीकार माने जावेंगे तथा उक्त मौन स्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत पूर्ण सुरक्षा प्रदान है कि स्वीकारोक्ति सर्वोत्तम व श्रेष्ठ साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में विवादित आराजीयात पर कभी भी वादी मंदिर अथवा उसके प्रबंधकगण काबिज नहीं रहे ना ही विवादित भूमि कभी भी खुदाकाश्त मंदिर की रही। खुद काश्त भूमि बाबत् दस्तावेज प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श–ए5 लगायत प्रदर्श–ए7 प्रस्तुत कर साबित करायी गयी है। उक्त प्रदर्श में दर्शित भूमियां ही मंदिर की खुद काश्त भूमियां थी जो वक्त सेटलमेंट से बदस्तुर आगामी सम्वतों में रही एवं उक्त प्रदर्शों में हम प्रतिवादीगण की कोई आराजी दर्ज नही है। वास्तविकता में प्रदर्श–ए4 पर्चा खर्तौनी सेटलमेंट के अनुसार इस्तमुरार भूमि सेटलमेंट द्वारा खालसा कर दी गई तथा नियमानुसार उस वक्त रहे काश्तकार देवीचन्द को जागीर रिजम्पशन एक्ट की धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये एवं खाता देवीचन्द के नाम कायम किया गया जिस देवीचन्द के पुत्र कल्याण से जरिये पंजीकृत वयनामा प्रतिवादी रामजीलाल द्वारा वर्ष 1972 में आराजीयात कय की जाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये। प्रतिवादी रामजीलाल कोई अतिचारी अथवा अतिक्रमी कय की गई और विगत 53 वर्षों से प्रतिवादीगण ही विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे और उनके हक में हुये वयनामा की जानकारी वादी मंदिर को इस प्रकरण के जरिये वर्ष 1994 में हो जाने के पश्चात भी आज तक वयनामा निरस्ती की कोई कार्यवाही मंदिर की ओर से अमल में लाई गई रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत प्रत्येक पंजीकृत विलेख के सही व सत्य होने की उपधारणा कानूनन की जाती है। इस प्रकार विवादित आराजीयात को देवीचन्द अथवा उससे पूर्व हजारी अथवा उससे पूर्व ग्यारसा द्वारा कभी मंदिर की ओर से काश्त किय गया हो और वादी मंदिर को लगान अदा किया गया हो ऐसा कोइ दस्तावेज भी वादी मंदिर की ओर से पेश नहीं किया गया है और स्वयं पीडब्ल्यू–1 ने अपने बयानों में यह स्वीकार भी किया है और देवीचन्द ने कोई लगान मंदिर को नहीं दिया तथा विवादित भूमि पट्टेक पर वादी को प्राप्त हुई हो तो ऐसा भी कोई इस्तमुरार पट्टा

Signature Not Ver
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.01 13:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठौली

वादी मंदिर की ओर से पेश नही हुआ है। विधिक स्थिति अनुसार खालसा अर्थात् सरकार के आधीन घोषित भूमि को सैटिलमेंट अधिकारी द्वारा काश्तकार के नाम खातेदारी दर्ज करने के पूर्ण अधिकार जगीर रिजम्पशन एक्ट में प्रदान किया गये जिसकी पुष्टि स्वयं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने तारा बनाम राज0राज्य (2015) में की एवं माननीय राजस्व मण्डल ने प्रकाश चन्द बनाम मंदिर मूर्ति गोविन्द देव जी निर्णय दिनांक 14,09,2016 में भी की जो नजीरें लिखित बहस के साथ प्रस्तुत की जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–ए3 संवत् 2006–2009 व प्रदर्श–ए2 संवत 2010–13 की खसरा गिरदावरी व जमाबंदी प्रदर्श–2 में विवादित आराजीयात कभी भी मंदिर की खुदकाश्त भूमियां नहीं रही एवं वक्त सेटिलमेंअ किये गये खातेदारी इन्द्राज सही थे। इस आधार पर तनकी नं0 1 को वादी मंदिर कभी भी स्वयं के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि इस प्रकरण में साबित नहीं कर पाया है और इसी आधार पर वादी मंदिर ना तो खातेदारी काश्तकारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है और ना ही प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर कब्जा पाने का अधिकारी है। सर्वप्रथम वादी को यह साबित करना होगा कि उसके द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजीयात को बेकब्जा कर कब्जा मंदिर के हित में मांगा गया था तथा कब्जा विवादित आराजीयात अदा करने से प्रतिवादी द्वारा इन्कार किया गया हो किन्तु उक्त संपूर्ण वादपत्र वादी में प्रबन्धकगण की ओर से ऐसा कोई अभिवचन एवं कब्जा वापसी की मांग नहीं उठाई गइ है। जिसके आधार पर ना तो वादी मंदिर प्रतिवादीगण से कब्जा वापसी की दादरसी उठाने के अधिकारी है और ना ही विवादित आराजीयात को मंदिर के नाम दुरूस्त कराकर घोषणा के अधिकारी है। इस आधार पर तनकी नं0 1, 2 व 3 वादी के खिलाफ तय होने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा जमाबंदी प्रदर्श–ए4 व गिरदावरियां प्रदर्श–ए2 व प्रदर्श–ए3 प्रस्तुत कर गवाहान डब्ल्यू–1 रामजीलाल व डीडब्ल्यू–2 ओमप्रकाश के बयानों के जरिये साबित करायी और यह स्पष्ट किया कि जो भूमि सेटिलमेंट पूर्व माफी पंच महाजनान के नाम दर्ज थी उसे राजस्वकर्मियों ने गलत तरीके से वादी मंदिर के नाम कर दिया जबकि मुताबिक प्रदर्श–ए 4 भूमि खालसा हो गई थीं। खालसा होने के कारण प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजीयात को मंदिर की खाते से दुरूस्त कराकर माफी महाजनान से राज0 सरकार दर्ज कराने

Signature Not Ve
Digitally signed by Pr
Date: 2026.05.01 13
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटली

के अधिकारी है तथा वरवक्त सेटिलमेंट द्वारा किये गये इन्द्राजात के पश्चात् बयनामा से प्रतिवादी रामजीलाल द्वारा क्रय की गई आराजीयात व खातेदारी अधिकार मुताबिक जमाबंदी प्रदर्श-1 यथावत रखे जाकर काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार व डिक्री किया जाकर दावा वादीगण मया दर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। प्रकरण में जो लिखित बहस वादी मंदिर की ओर से प्रस्तुत की गइ है व बिल्कुल अभिवचनों के विपरीत है एवं लिखित बहस के समथ्रन में जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं वे प्रकरण के मौजूदा तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने के कारण प्रकरण पर किसी भी प्रकार से चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि जो नजीरें वादी मंदिर की ओर से प्रस्तुत की गई हैं वे खुद ।कश्त आराजीयात से सम्बन्धित हैं जबकि प्रकरण में विवादित भूमि मुताबिक दस्तावेजी साक्ष्य कभी भी खुद काश्त भूमि नहीं रहीं और इसी कारण बंदोबस्त टीम की द्वारा उसे खालसा घोषित कर, रिज्यूम कर खाता काश्तकार देवीचंद पुत्र नानगा के नाम विधिवत तौर पर कायम कर खातेदारी अधिकारी देवीचंद को प्रदान किये गये। अंत दावा वादी खारिज किये जाने एवं काउन्टर क्लेक डिक्री किये जाने तक निवेदन किया है। अपनी बहस के समर्थन में निम्न नजीरे प्रस्तुत की है। राजस्थान हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट 2015 (4), एमवीएन (डी) थ्रो एलआरएस पेज नंबर 468

बहस वकील वादी व प्रतिवादी लिखित व मौखिक का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों का विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैः-

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने विवाद्यक संख्या 1 के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2010-13 प्रदर्श-2, प्रदर्श-4 जमाबंदी संवत 2010-13 पेश की है जिसमें विवादित भूमि वादी मंदिर श्री गोविन्द देवजी की खातेदारी में दर्ज है। जिसका मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-3 पेश किया है और मौखिक साक्ष्य में भूमि वादी मंदिर वादी की खातेदारी की होना कथन किया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में लिस्ट ऑफ प्रापर्टी मंदिर गोविन्द देवजी प्रदर्श ए-1, खसरा गिरदावरी संवत 2010-13 प्रदर्श ए-2 खसरा गिरदावरी संवत 2006-2009 प्रदर्श ए-3, नकल सेटलमेंट खतौनी प्रदर्श

उपखण्ड अधिकारी करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.01 13:
Reason: SelfAttested

2015 की समस्त आराजीयात की जमाबंदी प्रदर्श ए-6 किता 3 तथा मंदिर की संवत 2019-22 की जमाबंदी प्रदर्श ए 7 पेश किये है। जिसमें भूमि प्रदर्श ए-4 में देवीचंद माली ए से बी भाग में दर्ज एवं सी से डी भाग में भूमि मंदिर गोविन्द देवजी के भोक्ता के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श ए-5 में एवं प्रदर्श ए-6 में एवं प्रदर्श ए-7 में भूमि भोक्ता के कॉलम में वादी मंदिर के नाम दर्ज है एवं खसरा गिरदावरी संवत 2010-13 प्रदर्श ए-3 में भूमि वादी मंदिर गोविन्द देवजी की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण मंदिर के प्रबंधकगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिवस वादी उक्त जमीनों को खातेदार काश्तकार का धारा 5 (23) में खुदकाश्त का प्रावधान है एवं 5 (25) आर टी एक्ट के अनुसार नाबालिग वादी मंदिर की जमीन को यदि कोई व्यक्ति काश्त करता है तो वह नाबालिग की ही काश्त मानी जावेगी। प्रतिवादीगण द्वारा इस खण्डन में गिरदावरी प्रदर्श ए-2 व ए-3 पेश की गई है। गिरदावरी रिकॉर्ड ऑफ राईटस नहीं है। गिरदावरी से खातेदारी साबित नहीं की जा सकती है। इन तथ्यों का प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डन दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं किया गया है। वादी मंदिर वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 02 को साबित करने का भार वादी पर है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि वादी मंदिर के संवत 2010-13 प्रदर्श-4 जमाबंदी खातेदारी की होना प्रकट होता है। सेटलमेंट विभाग को सेंटलमेंट से पूर्व इन्द्राज खातेदारी को बदलने का बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के नहीं है बल्कि संवत 2015 से पूर्व के इन्द्राज को भी वक्त सेंटलमेंट पुनरावर्ति करने का दायित्व है। इस प्रकार वादी मंदिर वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा जमाबंदी संवत 2010-13 में कृषक दर्ज होने की पत्रावली में पेश नहीं की है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

Signature Not Ver
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.01 13:0
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार वादी पर है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे की होना जमाबंदी संवत 2010-13 प्रदर्श-4 से साबित है। प्रतिवादीगण का कब्जा वादी मंदिर नाबालिग की भूमि पर एक

अतिकमी के रूप में धारा 5 (25) आर टी एक्ट के तहत नाबालिग की खुदकाश्त भूमि होने होता है। सन् 1991 में कब्जे वापिस देने की वादी मंदिर के प्रबंधकों द्वारा कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर दावा धारा 183 आर टी एक्ट कब्जा वापिसी का अंदर म्याद प्रस्तुत किया गया है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं किया गया है। इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इस विवाद्यक के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे विवादित जमीन संवत 2010–13 में मंदिर गोविन्द देवजी पंचमहाजनान की खातेदारी में दर्ज हो और मौखिक साक्ष्य से भी साबित नहीं किया है। बल्कि भूमि संवत 2010–13 में वादी मंदिर के खातेदारी में प्रदर्श–4 जमाबंदी में दर्ज है। अतः विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यक को किस प्रकार म्याद बहार है। ना तो अपने जबावदावा में कोई तथ्य अंकित किया है। ना ही अपने सशपथ बयान में दर्ज किया है। विवादित वादी शाश्वत नाबालिग की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। नाबालिग की भूमि को कोई भी व्यक्ति काश्त करता है। तब वह नाबालिग की ही खुदकाश्त धारा 5 (23) व धारा 5 (25) आर टी एक्ट के अनुसार नाबालिग की ही खुदकाश्त मानी जावेगी और जिस दिन वादी के कहने पर काश्त करने वाला व्यक्ति कब्जा करने से इनकार करता है। उस दिवस को ही धारा 183 आर टी एक्ट की म्याद शुरू मानी जावेगी। दावे में सन् 1991 में कब्जा वापिस देने की प्रबंधकों द्वारा कहने पर प्रतिवादी के द्वारा मना करने पर ही दावा दखल पेश किया गया है। इस प्रकार दावा विधि अनुसार अंदर म्याद प्रस्तुत किया गया है। अतः विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

Signature Not
Digitally signed by
Date: 2026.05.01
Reason: SelfAttes

खण्ड अधिकारी
कठौली

विवाद्यक संख्या 6 को भी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस विवाद्यक को प्रतिवादी ने अपने दस्तावेजों अथवा

मौखिक साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि वादग्रस्त भूमि संवत 2012 में माफी महाजनान की जमाबंदी में दर्ज हो बल्कि जमाबंदी प्रदर्श–4 में भूमि वादी मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त माफी महाजनान किस आदेश कब जब्त हुई और जब्ती के वाद राज्य सरकार के नाम किस आधार दर्ज हुई इस संबंध में प्रतिवादी की जबावदावा के अभिवचनों से एवं मौखिक साक्ष्य अथवा दस्तावेजी साक्ष्य साबित नहीं किया है। प्रतिवादीगण अपने काउन्टर क्लेम को साबित करने में इस विवाद्यक में असफल रहे है। अतः विवाद्यक संख्या 6 प्रतिवादी के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 7 को साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने अपने जबावदावा अभिवचन में यह दर्ज नहीं किया है कि दावा वादी 183 आर टी एक्ट में किस कारण चलने योग्य नहीं है जबकि वादी शाश्वत नाबालिग और प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी की जमीन पर एक अतिक्रमी के रूप में काबिज है। वादी प्रतिवादी का कब्जा एक अतिक्रमी के रूप में होने से दखल प्राप्त कर कब्जा वापिस प्राप्त करने का हकदार है। प्रतिवादीगण ने इस तनकी अपनी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है। अतः विवाद्यक संख्या 7 प्रतिवादी के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 7 (अ) को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस संबंध में वादी रामजीलाल पीडब्ल्यू–1 का बयान लेखबद्व दर्ज कराया है एवं प्रतिवादी ने अपने जबावदावा में यह भी दर्ज नहीं किया है कि वादी के प्रबंधक कौन–कौन है और पीडब्ल्यू–1 वादी का मंदिर का प्रबंधक नहीं होना दर्ज नहीं किया है। प्रतिवादी ने अपनी जिरह में कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मंदिर गोविन्द देवजी की सेवापूजा की व जमीन जायदाद की व्यवस्था अग्रवाल समाज द्वारा गठित प्रबंधकगण द्वारा की जाती है या नहीं और प्रबंधक कौन–कौन है। इस समस्त तथ्यों से यह प्रकट होता है कि दावा दायरी के दिवस रामजीलाल महाजन वगै0 वादी के प्रबंधक थे। वादी मंदिर शाश्वत नाबालिग है। और उसकी और कोई भी दर्शनार्थी तक दावा कर सकता है। इस प्रकार विवाद्यक संख्या 7 (अ) वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pr
Date: 2026.05.01 13:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली

विवाद्यक संख्या 8 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 7 (अ) के विवेचन से वादी वादग्रस्त आराजी वादी मंदिर मूर्ति गोविन्द देवजी की खातेदारी व कब्जे की होना एवं सेंटलमेंट संवत 2015 में वादग्रस्त भूमि के गलत इन्द्राज देवीचंद पुत्र नानगा माली द्वारा वादी से छिपाकर करा लिये जाना प्रतिवादी नंबर 1 भूमि पर अतिकमी की हैसियत से काबिज होना और वादी के हकों से दिनांक 6.6.91 को इंकार कर देने से वादी मूर्ति मंदिर भूमि का खातेदार काश्त होने से अपने हक में घोषणा एवं भूमि पर दखल प्राप्त करने प्राप्त करने का अधिकारी है। दावा वादी डिकी किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। वादी मूर्ति मंदिर गोविन्द देवजी को आराजी खसरा नंबर 5325, 5326, 5327 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का–9 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 का नाम खातेदारी से हजफ किय जाता है। वादी मंदिर भूमि पर प्रतिवादी नंबर 1 से दखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी नंबर 2 इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी मंदिर के हक में खातेदारी इन्द्राज अमल करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(signature)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem R
Date: 2026.05.01 13:00:54
Reason: SelfAttested